माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / /2016 पुनर्विलोकन

मूलचन्द कुशवाह तनय नवला कुशवाह निवासी लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम

1. आशाराम तनय करिया धोबी निवासी वार्ड नं. 13 लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. निज़ार खाँ तनय तनय मल्लू खाँ निवासी वार्ड नं. 15 लवकुशनगर जिला छतरपुर(म.प्र.)

.....अनावेदक

पुनर्विलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.08.2016 पारित द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वलियर म.प्र. के प्र.क्र. 2616– I/2016/निगरानी से असन्तुष्ट होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1. यहकि, भूमि खसरा नं. 380/1 रकवा 0.688 है. एवं भूमि खसरा नं. 377 में से रकवा 0.392 है. मौजा लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि अनावेदक क्र.1 स्वामित्व की थी। जिसे आवेदक ने 15 वर्ष जेठ (जून माह) की पूर्णिमा को 3,00000/– रूपये में क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया था।

2. यहकि, आवेदक ने उक्त भूमि में बोर बेल एवं रिहायशी मकान बनाकर परिवार सहित निवास करते हुये उक्त भूमि में सिंचाई कर सब्जी की फसल उगाकर कृषि कार्य करता है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 2942–एक/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–8–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5–8–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गयी है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (एस0एस0 अली) सदस्य	